न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 05/2015 G.C.M.S. No. 2015/00483 दर्ज दिनांक : 06.02.2015

अपीलार्थिगण:

1. गंगा पत्नी मांगीलाल सरगरा
2. सूरजी पत्नी श्री राजूराम सरगरा
3. ममता पुत्री राजूराम नाबालिग
4. आरती पुत्री राजूराम नाबालिग
5. लक्ष्मी पुत्री राजूराम नाबालिग
6. लीला पुत्री राजूराम नाबालिग
7. पिन्टी पुत्री राजूराम नाबालिग
8. टीना पुत्री राजूराम नाबालिग
9. गणकी पुत्री राजूराम नाबालिग

अपीलांट संख्या 3 से 9 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती सूरजी पत्नी राजूराम, जातिगण सरगरा निवासीगण गांव लौटोती तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. पारसराम पुत्र श्री ढ़गलाराम
2. मदनलाल पुत्र श्री ढगलाराम
3. चन्द्राराम पुत्र श्री ढगलाराम
4. ओमप्रकाश पुत्र श्री ढगलाराम
5. प्रहलाद पुत्र श्री ढगलाराम
6. विनोद पुत्र श्री ढगलाराम
7. मीठालाल पुत्र ढगलाराम फौत के कायम मुकाम–
   7.1 कालु पुत्र स्व. मीठालाल
   7.2 दिनेश पुत्र स्व. मीठालाल
   7.3 हरीश पुत्र स्व. मीठालाल
   7.4 भरत पुत्र स्व. मीठालाल
   7.5 दुर्गादेवी पत्नी स्व. मीठालाल

   रेस्पोंडेंट संख्या 7.2 से 7.4 जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती दुर्गादेवी पत्नि मीठालाल, जातिगण सरगरा निवासीगण गांव लौटोती तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
8. तुलछीदेवी पत्नि ढगलाराम
9. कमला पुत्री ढगलाराम
10. नर्बदा पुत्री ढगलाराम
11. मोकलीदेवी पुत्री ढगलाराम

    जातिगण सरगरा निवासीगण गांव लौटोती तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
12. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जैतारण, जिला ब्यावर।

Scanned with OKEN Scanner

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 135/2012 बअनवान पारसमल बनाम मदनलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.07.2012 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 व रेस्पोंडेंट का आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत अपीलांट द्वारा बिना इजाजत अपील पेश करने से अपील खारिज करने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री सूरजप्रकाश व्यास, श्री सुनिल विजयवर्गीय, श्री मनीष राजपुरोहित, श्री किरणसिंह पंवार विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री श्याम पंचारिया विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 135/2012 बअनवान पारसमल बनाम मदनलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.07.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलार्थीगण (वादीगण) द्वारा सहायक कलेक्टर जैतारण के न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 53 व 92 ए आर.टी. एक्ट 1956 विरुद्ध रेस्पोंडेन्ट पेश किया गया, जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट पेश किया। दिनांक 27.07.2012 को स्थगन प्रार्थना पत्र सुनवाई की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया तथा आगामी पेशी दिनांक 27.08.2012 को मुकर्रर की गई थीं। मांगीलाल तथा ढगलाराम दो भाई थें। दोनों का बराबर खसरा नम्बर 220 रकबा 3.02 बीघा, खसरा नम्बर 226 रकबा 3.16 बीघा, खसरा नम्बर 604 रकबा 6.07 बीघा, खसरा नम्बर 757 रकबा 5.00 बीघा, खसरा नम्बर 812 रकबा 5.16 बीघा कुल रकबा 24.01 बीघा है। उक्त दोनों भाईयों के मौके पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। मांगीलाल के एक ही संतान थी जिसका नाम राजू था, जो फौत हो चुका है। जिसके उत्तराधिकारी उसकी माता तथा पत्नी सूरजी देवी तथा 6 नाबालिग पुत्रियां है तथा ढगलाराम के कुल सात संतानें थीं, जिनमें मीठालाल फौत हो चुका है। जिसके कायम मुकाम रेकर्ड पर है तथा मांगीलाल के वारिसान अपने 1/2 हिस्से पर काबिज है तथा ढगलाराम के वारिसान अपने 1/2 हिस्से पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपीलाधीन आदेश पारित करने में पत्रावली में कानूनी तथ्यों व वाक्याती तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है तथा पत्रावली की ऑर्डरशीट को देखने से ज्ञात हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाण्ट के कब्जे तथा बंटवाड़े को जानबूझकर नजरअदांज किया है। मांगीलाल की जमीन के संबंध में उसके वारिसान में प्रार्थीगण ही है तथा उनका 1/2 हिस्सा उक्त खसरा नम्बर में अलग ही है तथा मौके पर अपने हिस्से पर लम्बे समय से काबिज है। रेस्पोंडेन्ट का कोई लेना–देना

Scanned with OKEN Scanner

नहीं है। रेस्पोंडेन्ट पारसमल द्वारा अपने भाईयों तथा अपीलाण्ट को पक्षकार बनाकर बंटवाड़े का दावा पेश किया था, जबकि अपीलाण्ट का इससे कोई लेना–देना नहीं है। वह अपने हिस्से पर पूर्व से ही अलग काबिज है। पारसमल द्वारा अपीलाण्ट को परेशान करने की मंशा से ढगलाराम के हिस्से की जमीन के बंटवाडे के लिए अपीलाण्ट को पक्षकार बनाकर उसकी जमीन पर भी स्थगन प्राप्त किया था, जो किसी भी दृष्टि से विधिसम्मत नहीं है। क्योंकि उक्त दोनों भाई स्व. मांगीलाल व स्व ढगलाराम के बीच शुरू से ही बंटवाड़ा हो रखा है। फिर भी जानबूझकर अपीलाण्ट को पक्षकार बनाकर उनकी जमीन को बेचने से रोकने की नियत से जानबूझकर स्वयं के हिस्से के बंटवाडें के लिए अपीलाण्ट को गलत पक्षकार बनाकर उसकी जमीन पर स्थगन प्राप्त कर रखा है जो तुरन्त हटाये जाने योग्य है। अपीलाण्ट की माली हालत कमजोर है तथा उसके 6 नाबालिग पुत्रियां है जो कुछ समय बाद बालिग हो जायेगी, जिनकी शादी करनी है तथा भरण पोषण के लिए अपने हिस्से की जमीन में से कुछ जमीन को बेचना चाहते है तथा उसके उक्त हक अधिकार से महरूम करने की नियत से रेस्पोंडेन्ट द्वारा बेजा कानूनी सलाह के परिणामस्वरूप मनगढ़ंत रूप से पक्षकार बनाकर शुरू से बंटवाडा हुई जमीन का पुनः बंटवाडें का भाग बनाकर वाद पेश किया है जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं हैं तथा तुरन्त स्थगन निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट तथा रेस्पोंडेन्ट के बीच बंटवाड़ें से संबंधित कोई विवाद ही नहीं है। इस बात की पुष्टि रेस्पोंडेन्ट पारसमल द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जो अपने परिवार के शेष भाईयों के विरूद्ध ही पेश किया गया तथा उन्हीं के विरूद्ध अनुतोष मांगा है, जिसकी नकल साथ संलग्न है। जिससे स्पष्ट है कि बंटवाड़ा के संबंध में ढगलाराम और मांगीलाल के विरूद्ध शुरू से ही विवाद शेष नहीं था तथा अपने–अपने हिस्से पर काबिज थें। इस प्रकार रेस्पोंडेन्ट द्वारा धारा 212 तथा मूल वाद में भिन्न–भिन्न पक्षकार बनाकर जो स्थगन प्राप्त किया गया, जो दोषपूर्ण होने से भी निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वास्तविक रूप से अपीलाण्ट के विरूद्ध भी एकपक्षीय आदेश ही है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश ऐबइनिशियो वॉईड है। अपीलाण्ट को प्रोपर तामिली भी नहीं की गई थीं। इस प्रकार अपीलाण्ट को बिना सुनवाई, साक्ष्य, सबूत का अवसर प्रदान किये ही स्थगन आदेश पारित किया गया है, जो प्रथमदृष्टया अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश बिना साक्ष्य के आधार पर पारित किया है। कानूनन सिर्फ अभिवचन के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। कानून प्रत्येक अभिवचन को साक्ष्य द्वारा साबित करना आवश्यक है। जब तक अभिवचन साक्ष्य द्वारा साबित नहीं हों, अभिवचनों का कानूनन मूल्यांकन नहीं हो सकता है तथा साबित अभिवचनों के विरूद्ध

आदेश पारित करना न्यायिक प्रक्रिया की हत्या करना है। इस कारण भी अपील स्वीकार योग्य है। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपनी जमीन पर कृषि ऋण लेने के लिए पटवारी से नकल मांगी तो दिनांक 24.01.2015 को पटवारी द्वारा बताया कि अपीलाण्ट की भूमि बाबत बंटवाड़ा के दावे में स्थगन हो रखा है तब अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 28.01.2015 को न्यायालय में आये तथा अधिवक्ता से सम्पर्क कर मुकदमे की जानकारी मांगी तथा अपीलाण्ट ने दिनांक 28.01.2015 को ही प्रकरण की जानकारी होने के बाद तुरन्त प्रभाव से नकल प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 29.01.2015 को नकल प्राप्त की तथा उसके बाद आदेश की नकल लेकर अन्य अधिवक्ता से सम्पर्क किया, तो अपीलाण्ट को यह जानकारी हुई कि अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित कर दिया है तथा अब अपील आर.ए.ए. पाली के न्यायालय में ही होगी। इसलिए अपीलाण्ट द्वारा नकलें प्राप्त कर अतिशीघ्र उक्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद व अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. प्रकरण में सर्वप्रथम रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2016 बाबत बिना अनुमति अपील प्रस्तुत करने से अपील खारिज करने बाबत पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। जो निम्नानुसार है–
   1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 6 के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2012 पारित किया गया। अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित नहीं हैं। इसके बावजूद अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए बिना हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं।
   2. केवल पक्षकार ही अपील प्रस्तुत कर सकते हैं तथा पक्षकारान के अलावा न्यायालय आदेश/निर्णय/डिक्री से पीड़ित व प्रभावित व्यक्ति ऐसे आदेश के विरूद्ध धारा 96 सीपीसी के अंतर्गत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र मय

शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय अनुमति से ही अपील प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा न तो अपील प्रस्तुत करने बाबत धारा 96 सीपीसी का कोई प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है व न ही न्यायालय हाजा द्वारा अपील प्रस्तुत करने की कोई अनुमति प्रदान की गई हैं। अपीलांट्स अपीलाधीन आदेश में बतौर पक्षकार संयोजित नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र मत में अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं होने से हस्तगत अपील ग्राह्यता के स्तर पर ही काबिल खारिज है। अतः रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स अपीलाधीन आदेश में पक्षकार संयोजित नहीं होने तथा अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी मय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं अपीलांट्स द्वारा बिना अनुमति के हस्तगत अपील प्रस्तुत करने से अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner